



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
पटना-800014



पत्रांक-8 बजट (1) 11/2026 14000 आ०

दिनांक- 20 / 04 / 2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार।

सेवा में

निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना,
शोध पदाधिकारी (पशु रोग),
पशु रोग नैदानिक प्रयोगशाला, दरभंगा।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी, उपशीर्ष 0001 राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना, मांग संख्या-02, विपत्र कोड 02-2403001130001 के अन्तर्गत व्यय को वहन करने हेतु कुल रूपये 4,83,03,400/- (चार करोड़ तिरासी लाख तीन हजार चार सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय को वहन करने हेतु कुल रूपये 4,83,03,400/- (चार करोड़ तिरासी लाख तीन हजार चार सौ) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग सं०-2 के अधीन 2403-पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष, 113- प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी उपशीर्ष 0001- राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना, विपत्र कोड - 02-2403001130001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये स्थायी योजना एवं स्थायी स्थापना के तहत दिया जा रहा है। इस राशि का विकलन योजनान्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि भुगतान में ही किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरेक कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाये। संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998, 236/वि० दिनांक- 09.03.2026 एवं 314/वि० दिनांक-01.04.2026 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0 भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करायी जाय।

(घ) मृत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान नियमानुकूल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) पुनरीक्षित प्राक्कलन 2026-27 एवं बजट प्राक्कलन 2027-28 दिनांक 31 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध करा दें।

(च) वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2027 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक-8 बजट (1) 11/2026 प0पा0 14/07/20 आ0/ पटना-14, दिनांक- 20/04/2026

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या - टी0 ए0- 57 - 96-97-प0पा0-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट-3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.1999 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव /सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, को अनुलग्नक सहित (विभागीय वेबसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्ष 2403 - पशुपालन 113 - प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी - 0001-
राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना, मांग संख्या-02, विपत्र कोड-02-2403001130001 के अन्तर्गत
आवंटन की विवरणी:-

क्र० सं०	कूट संख्या एवं मद का नाम	राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना	पशु रोग नैदानिक प्रयोगशाला, दरभंगा की स्थापना	कुल आवंटन
		आवंटित राशि	आवंटित राशि	
1	3	4	5	6
1	0001.01 01 - वेतन	22874600	382400	23257000
2	0001.01 03 - जीवन यापन भत्ता	14193400	248700	14442100
3	0001.01 04 - मकान किराया भत्ता	4626600	38200	4664800
4	0001.01 05 - परिवहन भत्ता	1641500	9800	1651300
5	0001.01 06 - चिकित्सा भत्ता	324600	4000	328600
6	0001.01 07 - अन्य भत्ता	55400	0	55400
योग - 02-2403.00.113.0001.01- वेतन		43716100	683100	44399200
7	06 01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	165000	0	165000
8	0001.11 01 - यात्रा व्यय	660000	0	660000
9	0001.13 01 - कार्यालय व्यय	396000	33000	429000
10	0001.13 03 - दूरभाष	33000	0	33000
11	0001.13.04-विद्युत प्रभार	669900	6600	676500
12	0001.13 10 - भाड़े की गाड़ी का मुगतान	231000	0	231000
योग - 02-2403.00.113.0001.13- कार्यालय व्यय		1329900	39600	1369500
13	0001.14.01-किराया, महसूल एवं कर	33000	132000	165000
14	0001.16.01-प्रकाशन एवं मुद्रण	99000	0	99000
15	0001.20.03-प्रशिक्षण व्यय	99000	0	99000
16	0001.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ	495000	0	495000
17	0001.28.02-संविदा सेवायें	191700	0	191700
18	0001.52.01-मशीनें एवं उपस्कर	627000	33000	660000
योग - 02-2403.00.113.0001. राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना		47415700	887700	48303400
रुपये 4,83,03,400/- (चार करोड़ तिरासी लाख तीन हजार चार सौ) मात्र।				

निदेशक, पशुपालन।

14/01/2026
20/04/2026